राजस्थान सरकार

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति

स्वास्थ्य भवन, जयपुर

एफ29 (20)एनआरएचएम/एमएमजेआरके/जयपुर I/कोर्ट केस/11/4289 दिनांक 24/10/2011

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

....

विषयः– SBCWPNo. **5508/2011 श्री अनिल कुमार पटवा व अन्य के साथ 83 रिट पिटिशन बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय राज. जयपुर के आदेश दिनांक 20.9.2011 के तहत कार्यवाही करने बाबत।**

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा रिट पिटीशन 5508/11 श्री अनिल कुमार पटवा व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य के प्रकरण में पारित आदेश को संलग्न कर आपको भिजवाया जा रहा है इस पर निम्नांकित कार्यवाही सम्पादित करके, आपके जिले की अनुपालना रिर्पोट दिनांक 1.11.2011 तक आवश्यक रूप से परियोजना निदेशक मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष को भिजवाना सुनिश्चित करावे।

1. मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा के स्वीकृत पदों को छोड़कर अन्य सभी कार्मिकों को जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर में रिट दायर की है तथा जिनकी रिट याचिकाये खारिज की जा चुकी है उन्हें तुरन्त प्रभाव से हटा दिया जाये। स्वीकृत पदों की सूची वर्ष 2010–11 की संलग्न है, तथा विभागीय वेब साईट www.cmbpljrk.raj.nic.in पर भी उपलब्ध है।
2. मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के संविदा कार्मिक जिनका मिशन निदेशक, एनआरएचएम की सक्षम स्वीकृति के बिना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने एनआरएचएम में अपने स्तर से ही समायोजित कर दिया था तथा जिनकी रिट याचिकायें दिनांक 20.9.2011 को खारिज की जा चुकी है तथा जिनके संविदा पद स्वीकृत नहीं है उनको तुरन्त प्रभाव से हटा दिया जाये।
3. मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत कुछ कम्प्यूटर ऑपरेटर्स जिनके पद वित्त विभाग से स्वीकृत होने के बावजूद भी उन्होने एनआरएचएम में समायोजन होने के लिए रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर की थी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.9.2011 के तहत जिनकी रिट याचिकायें खारिज की जा चुकी है उन्हें मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना में अगर पद स्वीकृत व रिक्त है तो कार्य पर रखा जावे अन्यथा उसे तुरन्त प्रभाव से हटा दिया जाये। कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष के तहत स्वीकृत मानदेय ₹ 4,500 का ही भुगतान किया जाये।
4. मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना का फार्मासिस्ट जिसकी रिट याचिका दिनांक 20.9.2011 के आदेश से खारिज की जा चुकी है एवं वे फार्मासिस्ट जिनका मिशन निदेशक, एनआरएचएम की बिना सक्षम स्वीकृति के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा एनआरएचएम में समायोजन कर दिया है उनको अगर मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष में पद स्वीकृत है तो यथावत कार्यरत रखकर उसे मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष का मानदेय ₹ 4,500 दिया जाये अन्यथा उसे तुरन्त प्रभाव से हटा दिया जाये।
5. लिपिक एवं वार्ड ब्वाय के पद मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना में स्वीकृत नहीं है। अतः मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष व इसी योजना के एनआरएचएम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा समायोजित किये गये लिपिक व वार्ड ब्वाय जिनकी रिट पिटिशन माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश दिनांक 20.9.2011 के तहत खारिज की जा चुकी है। ऐसे संविदा कर्मियों को तुरन्त प्रभाव से हटा दिया जाये।
6. मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष में संविदा कार्मिकों के स्वीकृत पदों हेतु माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा दिनांक 20.9.2011 को पारित आदेश में **"last come - first go"** के सिद्धांत की पालना किया जाना आवश्यक है।

7. मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के जिन संविदा कार्मिकों की रिट पिटिशन खारिज की जा चुकी है उन्हें माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के आदेशानुसार कार्यवाही करके तुरन्त हटाया जायें। मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना से इन कार्मिकों के मानदेय का भुगतान 31.10. 2011 तक ही करे, अगर किसी चिकित्सा संस्थान प्रभारी द्वारा इस तिथि के बाद भी उक्त संविदा कार्मिकों को कार्यरत रखा जाता है तो इन्हे मानदेय का भुगतान तथा अन्य न्यायिक कार्यवाही के लिए उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
8. माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा दिनांक 20.09.2011 को पारित आदेश के तहत शेष जिन रिट पिटिशन पर निर्णय होना बकाया है उनके बाबत सम्बंधित ओ.आई.सी. को तुरन्त अधिवक्ता से सम्पर्क कर प्रकरण का निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.9.2011 के अनुरूप करवाने का प्रयास करावे एवं माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में डीबी स्पेशल अपील दायर किये जाने की सम्भावना को द्वष्टिगत रखते हुए प्रकरण के संबंध में श्री विभूति भूषण शर्मा एडिशनल गवर्नमेंट कौंसलि राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर से सम्पर्क कर शीघ्र केवियट फाइल करने की कार्यवाही करावे।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है: –

1. निजी सचिव, महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव व मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
4. समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान/समस्त अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज से संबंद्ध चिकित्सालय, राजस्थान/समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राजस्थान /समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी उप खण्ड/सैटेलाईट चिकित्सालय, राजस्थान/समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान भेजकर लेख है कि आपके चिकित्सा संस्थान में मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के जिन संविदा कर्मियों द्वारा माननीय उच्च नयायालय में रिट पिटिशन दायर की गयी है उनका निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार करवाने की कार्यवाही करके उसकी सूचना जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से शीघ्र परियोजना निदेशक मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष को भिजवाने का श्रम करे।
5. परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, एनआरएचएम, जयपुर।
7. उप अधीक्षक, मनौचिकित्सालय, जयपुर।
8. उपविधि परामर्शी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जयपुर।
9. श्री विभूति भूषण शर्मा, एडिशनल गवरमेंट कॉसिल, जयपुर।
10. संबंधित केस प्रभारी अधिकारी को पत्र भेजकर लेख है कि आपके अधीन बचे हुए कोर्ट केसों का जवाबदावा तैयार कर श्रीमती मंजू जैन अधिवक्ता/श्री यशपाल खिलेरी डिप्टी गवर्नमेंट कौंसलि से सम्पर्क कर उक्त निर्णय के अन्तर्गत कोर्ट केस निस्तारण कराने का श्रम करे।
11. श्रीमती मंजू जैन, अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर को पत्र भेजकर लेख है कि राज.